महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
वेदविद्या मार्ग, चिंतामण गणेश, पोस्ट जवासिया, उज्जैन–456006 (म.प्र.)
Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan
(Ministry of HRD, Govt. of India)
Vedavidya Marg, Chintaman Ganesh, P.O. Jawasiya, UJJAIN- 456006 (M.P.)

पत्र सं. 17-3/2019 (प्र.वि.)/मसारावेविप्र/ दिनांक 15-03-2022

कार्यालय आदेश -1107

विषय :- कोविड-19 के कारण आनलाईन मोड में चल रहे वेद विद्यालय एवं गुरु शिष्य इकाई कक्षाओं का संचालन आफलाईन मोड में सुनिश्चित कराने एवं सभी वित्त पोषित छात्रों को छात्रावास में निवास सुनिश्चित करने के संबन्ध में।

संदर्भ :- वेद विद्यालयों एवं इकाइयों के कक्षाओं को आफलाईन मोड में चलाने के लिए दिये गये निर्देश।

****

यह संज्ञान में आया है कि कोविड-19 महामारी के सफल वेक्सिनेशन के बावजूद कई वेद विद्यालय के प्रबन्धक एवं गुरु शिष्य इकाई अध्यापक छात्रों को वेद विद्यालय एवं इकाई में अभी तक नहीं लाये हैं, तथा अभी भी केवल आनलाईन मोड में कक्षा चला रहे हैं। ऐसे कई आनलाईन चल रहे वेद विद्यालयों एवं इकाइयों की शैक्षिक स्थिति दयनीय स्तर पर पहुंची है। छात्र विद्यालय तक भूलने की स्थिति में हैं। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश है कि -

(1) वेद विद्यालयों एवं इकाइयों के सभी **अध्यापक आनलाईन मोड छोडकर आफलाईन मोड में पढाना तुरन्त प्रारम्भ करें।** कोई विशेष परिस्थिति –जैसे कोन्टैनमेंट झोन आदि हो तो स्थानीय प्रशासन के आदेश की प्रति के साथ प्रतिष्टान को सूचित करें।

(2) जिन वित्तपोषित-छात्रों को वेक्सिनेशन हो गया है, उन्हे अनिवार्य रूप से विद्यालय आने का निर्देश दें, वित्तपोषित छात्रों को विद्यालय-छात्रावास में रखें, भोजन व्यवस्था करें तथा उन्हें आफलाईन मोड में पढाना तुरन्त शुरु करें। वित्तपोषित छात्र उपस्थित होने में असमर्थ हों तो, अभिभावकों से संपर्क साधकर छात्र की साक्षात् **आफलाईन** पढाई की बात समझाए।

(3) जिन छात्रों को वेक्सिनेशन नहीं हुआ है किन्तु सरकारी नियमानुसार वेक्सिनेशन लग सकता है, उन के अभिभावकों की सहमति लिखित प्राप्त कर, उन्हें वेक्सिनेशन तुरन्त करावें। रखरखाव एवं स्वतः व्यय राशि हेतु, वित्तपोषित छात्रों को विद्यालय में प्रतिनित्य आना, पढाना एवं विद्यालय-छात्रावास में रहना अनिवार्य है।

(4) वेक्सिनेशन योग्य आयु वाला वित्तपोषित छात्र विद्यालय में नहीं आने एवं वेद विद्यालय-छात्रावास में नहीं रहने की स्थिति में रखरखाव एवं स्वतः व्यय राशि मार्च 2022 अनुदान से जारी नहीं होगी। इस विषय में कठिनता का पालन अनिवार्य है।

(5) जो छात्र वेद विद्यालय-छात्रावास से बाहर में निवास करतें हैं उन के नाम से विद्यालय को रखरखाव एवं छात्र को स्वतः व्यय राशि जारी नहीं होगी।

(6) **अवकाश निरस्त कर, वेद स्वाध्याय वर्ग** चलाने हेतु पूर्व में जारी आदेश का निरन्तर **आफलाईन मोड में** स्वाध्याय करते हुए समस्त अध्यापक पालन करें। सभी वित्त पोषित छात्रों को वेद विद्यालय छात्रावास में निवास करने हेतु रखें।

(7) राज्य सरकार तथा स्थानीय प्रशासन द्वारा कोविड-19 महामारी के रोकथाम हेतु केवल **आनलाईन मोड का अनिवार्य पालन करने के लिए यदि निर्देश दिये गये हों तो कृपया उन निर्देशों को प्रस्तुत करें। पूर्व प्रदत्त आदेश के विपरीत,** जिन्होने आन-लाईन मोड में ही वेदविद्यालय एवं गुरु शिष्य इकाई चलायें हैं उन को भी मार्च 2022 अनुदान जारी नहीं होगा।

वेदविद्यालय एवं गुरु शिष्य इकाई का संचालन **आफलाईन मोड में** सुनिश्चित करावें, सभी वित्त पोषित छात्रों को छात्रावास में निवास सुनिश्चित करावें। प्रतिष्ठान सभी अधिकारी, कर्मचारी एवं डीईओ इस आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।

15/3/2022

(प्रो. विरूपाक्ष वि. जड्डीपाल)
सचिव

प्रतिलिपि:-

1. प्रबन्धक/ प्राचार्य, प्रतिष्ठान से सम्बद्ध समस्त वेद पाठशालाएँ एवं गुरु शिष्य परम्परा इकाई अध्यापक।
2. अनुभाग अधिकारी (प्रभारी), मसारावेविप्र, 3.डिलींग सहायक, वेद पाठशाला एवं गुरु शिष्य परम्परा इकाई, मसारावेविप्र, 4. श्री विवेक शर्मा को प्रतिष्ठान वेबसाईट पर अपलोड हेतु 5.कार्यालय आदेश मिसिल

दूरभाष (0734)2502266, 2502254, 2502255 **फैक्स** (0734-2502253)
E-mail : msrvvpujn@gmail.com, website : www.msrvvp.ac.in